इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2013—आषाढ़ 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. 15557-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है. **संक्षिप्त नाम.**

धारा १६२ का अन्त: स्थापन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६१ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनाधिकृत कब्जे में की कतिपय भूमियों का व्ययन.

"१६२(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में की, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की ऐसी भूमि जो कि अनाधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर, जैसी कि विहित की जाए, कृषि और आवासीय प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जाएगा.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि का व्ययन कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि के संबंध में धारा २४८ के अधीन किसी राजस्व न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी.".

धारा २५८ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २५८ में उपधारा (२) में, खण्ड (छत्तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(सैंतीस) धारा १६२ के अधीन भूमि के व्ययन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह महसूस किया जा रहा है कि बहुत से क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग लम्बे समय से शासकीय भूमि के अनधिकृत कब्जे में हैं जिससे कि उन्हें कठिनाई हो रही है. सरकार द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को चिन्हित तथा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए तथा सरकारी पट्टेदार के अधिकारों में ऐसी रीति में आवंटित किया जाए, जैसी कि विहित की जाए. अतएव, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में एक नई धारा १६२ अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ जुलाई, २०१३.

करणसिंह वर्मा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा राज्य सरकार की भूमि जो अनाधिकृत कब्जे में हो, अधिसूचित किए जाने एवं उक्त भूमि की प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि विहित किए जाने; एवं

खण्ड ३ द्वारा भूमि के व्ययन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि; सुनिश्चित किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.